

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] No. 23] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2016/पौष 23, 1937

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2016/PAUSA 23, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 23(अ).—केंद्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 में,-
 - (i) नियम 6 में मद सं. (5) का लोप किया जाएगा,
- (ii) नियम 18 में उप नियम (1) के परंतुक में "उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित चीनी उद्योग विकास परिषद की स्थायी अनुसंधान सलाहकार समिति" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश के माध्यम से समिति के अंतर्गत गठित अनुसंधान परियोजना के लिए अनुदान सहायता के लिए उप समिति" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 6-1/2015-एसडीएफ]

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव (शर्करा और शर्करा प्रशासन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 752 (अ), तारीख 27 सितम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. संख्या 847 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 2015 द्वारा किया गया था।

185 GI/2016 (1)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2016

G.S.R. 23(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983,—
 - (i) in rule 6, item (5) shall be omitted;
 - (ii) in rule 18, in sub-rule (1), in the proviso, for the words, figures and brackets, "the Standing Research Advisory Committee of the Development Council for Sugar Industry established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951(65 of 1951)", the words "the sub-committee for Grant-in-aid for Research project constituted under the Committee through an order to be issued by the Central Government" shall be *substituted*.

[F. No.- 6-1/2015-SDF]

PRASHANT TRIVEDI, Jt. Secy. (S&SA]

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 752 (E) dated the 27th September, 1983 and last amended vide notification number G.S.R. 847 (E), dated the 9th November, 2015.